प्रेस नोट दिनांक 07.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही – 107 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ स्मैक बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत रूपापुर ग्राउण्ड के पास से अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 07.10.2025 को उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का० विलास यादव, का0 मान सिंह,का० कणाद मुनि द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत रूपापुर ग्राउण्ड के पास से 01 अभियुक्त गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष को कुल 107 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने बताया कि मै स्मैक बेचने की फिराक में था आप लोगों को देखकर घबराकर भागने लगा।

अभियुक्त के कब्जे से उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 500/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम 01- गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष।
बरामदगी- 01- कुल 107 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ स्मैक व 01 अदद स्मार्टफोन ओप्पो मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का० विलास यादव, का0 मान सिंह,का० कणाद मुनि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

“नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा आभूषण चोरी की घटना का खुलासा — अभियुक्ता नियाजुल बानो गिरफ्तार, चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने गलवाकर बनवाए गये नए आभूषण बरामद, बिक्री से प्राप्त 1500 रुपये नकद सहित बरामद

थाना देल्हूपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही — सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने वाली महिला अभियुक्ता नियाजुल बानो गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए गए गहनों को गलवाकर बनवाए गए 01 हार, 01 जोड़ी झाला, 01 अंगूठी, 02 जोड़ी (चार अदद) पायल तथा बिक्री से बचे ₹1500/- नगद बरामद

प्रतापगढ़।
दिनांक 28/09/2025 को वादिनी के घर से अभियुक्ता द्वारा सोने के आभूषण एवं नकदी चोरी कर ली गई । वादिनी द्वारा चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने वादिनी के साथ मारपीट की । अभियुक्ता द्वारा चोरी किए गए आभूषणों को स्थानीय सुनार की दुकान पर विक्रय करने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113/2025, धारा 115(2)/352/351(3)/305 बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्त/ अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 07.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 अतुल यादव व उ0नि0 श्री मारकण्डेय सिंह यादव, मय हमराह का0 नीरज राय व म0का0 नेहा शुक्ला के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2025, धारा 115(2)/352/351(3)/305 बी.एन.एस. से संबंधित 01 अभियुक्ता नियाजुल बानो पत्नी मो0 हबीब निवासिनी ग्राम मल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गतग्राम मल्हूपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्ता के कब्जे से 01 अदद हार (पीली धातु), 01 जोड़ा झाला (पीली धातु), 01 अदद अंगूठी (पीली धातु), 02 जोड़ा (चार अदद) पायल सफेद धातु(चोरी हुए गहने को गलाकर उसके एवज में बनवाया हुए गहने) एवं चोरी किये गहने को बेचने पर बचे 1500/- रुपये नगद को बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि 04 तारीख की शाम को मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ देल्हूपुर बाजार लक्ष्मी ज्वैलरी गयी थी। मेरे पास पैसे नही थे, मैं उसके एक दिन पहले मऊआईमा मे अपना दाँत उखड़वानी भी पैसे के आवश्यकता के कारण में अपना झाला बेचने गयी थी। मैने 42000/ (हजार रुपये) मे उसे बेचा और दुकानुदार ने मुझे 12 हजार रुपये दिये, 30 हजार रूपया अभी बाकी है। वह झाला मेरा था जब झाला के सम्बन्ध मे रसीद मांगी गयी तो बतायी कि रसीद नही है।

पुन: पूछताछ करने पर बतायी कि गलती हो गयी है। वह झाला मैने परवीन के घर से कई महिने पहले चुराया था, जिसे पैसे के जरूरत के कारण बेची है। हमसे गलती हो गई। मैने कुछ महिने पहले, दिन में परवीन के घर गयी थी, उनके घर पर कोई नही था। मै, घर के अन्दर,तक गयी तो घर के सभी ताले खुले थे। उनके दाहिने वाले पिछले कमरे मे संदूक रखा था, जो खुला था। मैने संदूक खोलफर देखा तो उसमें काली पन्नी मे परवीन के जेवरात रखे थे। जिसे मैं पहले कई बार माँग कर त्यौहार व शादी मे पहन कर गयी थी, को मैने चुरा लिया था। जिसमे लगभग 02 तोले की चैन व 01 तोले का झुमका, चवन्नी भर की 02 अंगुठी सोने की 10 तोले का पायल, 05 तोले का छल्ला चाँदी का और उसमे रखे रुपये भी ले ली थी। उपरोक्त गहनो के साथ आधा तोले का सोने का झाला था, जिसे अभी देल्हूपुर बाजार मे बेची थी और आप लोगो को जानकारी हो गयी।

अन्य चोरी किये गये गहने के बारे मे पूछा गया तो बताया कि मैने करीब 04 साल पहले अपने बड़ी बेटी की शादी की थी, जिसमे काफी उधार हो गया था। जब लोग उधारी मांगने लगें, तो मैने अपनी लड़की के जेवरात को बेचकर उधारी दी और लड़की के गहने को बनवाने के लिये मैने चुराये हुए गहने को गलवाकर अपने लड़की के लिये एक हार एक तोले का, एक जोड़ी झाला एक तोले का, एक अंगूठी चवन्नी भर की पीले धातु की व दो जोड़ी पायल सफेद धातु की बनवा ली है। चोरी किये रुपयो के बारे मे पूछने पर बतायी कि रुपये खर्च हो चुके हैं। ज्वैलर्स से द्वारा दिये गये 12000 रुपये में से 1500 रुपया बचा है, तथा बाकी पैसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
नियाजुल बानो पत्नी मो0 हबीब निवासिनी ग्राम मल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद हार (पीली धातु), 01 जोड़ा झाला (पीली धातु), 01 अदद अंगूठी (पीली धातु), 02 जोड़ा (चार अदद) पायल सफेद धातु (जो चोरी हुए माल को गलाकर उसके एवज में बनवाया हुआ)।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल यादव व उ0नि0 श्री मारकण्डेय सिंह यादव, मय हमराह का0 नीरज राय व म0का0 नेहा शुक्ला थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की सतर्कता से एक और झूठी घटना का पर्दाफाश 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही: आर्थिक तंगी में वादी और उसके भाई की गिरफ्तारी, एक और षड्यंत्र (झूठी लूट की कहानी) का भंडाफोड़-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 01 बैग के साथ थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 06.10.2025 को थाना जेठवारा क्षेत्र में रविंद्र कुमार सोनी ने सूचना दी थी कि एजिका गांव से कुर्रई की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते में अपाचे सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके बैग को वाहन की डिग्गी से निकाल लिया। बैग में पायल, बिछिया, अंगूठी, चांदी की नाक की पुल्ली और सोने का लॉकेट था। पैसे और मोबाइल नहीं लिए गए। उक्त घटना में थाना वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-237/25 धारा 309(4) बनाम अपाची सवार 03 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 07.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस एवं SWAT/सर्विलांस टीम द्वारा आरोपी व वादी 1-रविंद्र कुमार सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी कटरा गुलाब सिंह पुर वैष्णव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ व 2-अशोक कुमार सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी कटरा गुलाब सिंह पुर वैष्णव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1- रविंद्र कुमार सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी कटरा गुलाब सिंह पुर वैष्णव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
2-अशोक कुमार सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी कटरा गुलाब सिंह पुर वैष्णव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण-
पुलिस द्वारा त्वरित जांच और साक्ष्य संकलन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना वादी द्वारा स्वयं अपने भाई के साथ मिलकर कराई गई थी, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अभियुक्त ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। जांच में यह भी पता चला कि वादी आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण यह षड्यंत्र रचा था। वादी ने बताया कि मेरे साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है। मेरा कुछ

लेन देन बाजार में उधार था जिसका पैसा लोगो द्वारा लगातार वापस करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात से बचने के लिए मेरे द्वारा झूठी लूट की साजिश रची गई थी।

बरामदगी विवरण-
01बैग मय सामान बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 राजीव वर्मा, का0 अनुराग शुक्ला, का0 अर्पित त्रिपाठी, का0 मनीष, का0 पुष्पेंद्र, म0का0 छाया सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, हे0कां0 धनंजय राय, हे0कां0 मोहित राज यादव, का0 अरविंद दुबे, कां0 श्रीराम सिंह, कां0 जागीर सिंह, कां0 आशुतोष पांडे, चालक राजेंद्र कुमार जनपद प्रतापगढ़।